



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127683

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19411/2026

विनय गौड़ @ दिल्ली

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुधांशु पांडे, यश पांडे

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।
2. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, माननीय ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि जमानत आवेदन लंबित होने के संबंध में नोटिस प्रथम शिकायतकर्ता/प्रतिपक्षी(गण) संख्या 4 को तामील करा दिया गया है। नोटिस तामील होने के बावजूद, वर्तमान जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए प्रतिपक्षी(गण) संख्या 4 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।
3. यह जमानत याचिका मामला अपराध संख्या 294/2025 में धारा 137 (2), 65 (1), 87 बीएनएस और धारा 3/4 (2) पाँस्कों अधिनियम, 2012 के तहत, थाना- बरहाज, जिला- देवरिया में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब पीड़िता का बयान धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया था, तब उसने आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। पीड़िता ने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपने बयान में कहा कि वह गुस्से में अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसके साथ कोई नहीं था। वह अकेले ही हरियाणा गई थी। इसके बाद, वह गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर, बरेली और दिल्ली चली गई। पीड़िता ने अपने बयान में आगे आरोप लगाया है कि पीड़िता के कहने पर आवेदक और पीड़िता का विवाह मंदिर में संपन्न हुआ था। आवेदक को गलत तरीके से फंसाया गया है। वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहे। पीड़िता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता आवेदक की सहमति से विवाह में शामिल थी। उसने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक 31.01.2026 से जेल में बंद है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त मामले में शामिल आवेदक **विनय गौड़ उर्फ दिल्लू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.द.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ऐसी घोषणा होने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.द.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 द.प्र.सं./ धारा 351 बीएनएसएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।